<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, फतेहपुर।</u>

सत्र परीक्षण संख्या – 40/2022

सरकार बनाम शिवानन्द सिंह उर्फ शिव सिंह

अपराध संख्या 173/2021,

अन्तर्गत धारा–498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता

व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,

थाना–मलवां, जिला फतेहपुर।

<u>05.06.2025</u>

सत्र परीक्षण वाद पेश हुआ। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को अभियोजन पक्ष/वादी मुकदमा धून सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 16 अ अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अभियुक्त शिवानन्द सिंह उर्फ शिव सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कागज संख्या 18 ब पर पूर्व नियत तिथियों पर सुना जा चुका है।

अभियोजन पक्ष/वादी मुकदमा धून सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 16 अ अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 नम्बर–77/2024 धून सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धित सत्र विचारण संख्या 40/2022, राज्य बनाम शिवानन्द सिंह एवं अन्य, मुकदमा अपराध संख्या 173/2021, अन्तर्गत धारा–498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता, व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–मलवां, जिला फतेहपुर के मामले में पारित सम्मानित आदेश दिनांकित 08.02.2024 के माध्यम से विचारण न्यायालय <u>Additional Session Judge/FTC Court No.1,Fatehpur को निर्देशित किया गया कि,"This Application is disposed to expedite the aforesaid case expeditiously without granting unnecessary adjournment to either of the parties.</u> के अनुपालन में सुना गया।

न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष/वादी मुकदमा धून सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 16 अ अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गये अभिकथनो एवं उनके प्रस्तुत तर्को एवं अभियुक्त शिवानन्द सिंह उर्फ शिव सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति कागज संख्या 18 ब में अंकित अभिकथनो, तथ्यो एवं बहस के दौरान उठाये गये तर्को के आलोक/ परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा धून सिंह के मुख्य परीक्षा के बयान तथा विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित किये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष/प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा धून सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र कागज संख्या **16 अ** अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले का वह वादी है। उसकी लड़की पूर्णिमा सिंह की शादी दिनांक 07.03.2019 को शिवानन्द सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी–ग्राम मयारामखेड़ा थाना–मलवां जिला–फतेहपुर के साथ हुई थी तथा अपनी पुत्री की शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान–दहेज दिया था परन्तु उस दान–दहेज से पूर्णिमा के पति शिवानन्द व उसके भाई शिवस्वरूप सिंह उसकी बहने रीता, पुनीता व उसकी माँ रेनू देवी संतुष्ट नही थे और शादी के बाद से ही उपरोक्त लोग पूर्णिमा को कम दहेज का ताना देकर तथा अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रूपये की माँग कर प्रताड़ित करने लगे। <u>उसकी पुत्री जब भी अपने मायके आती तो उपरोक्त ससुरालीजनों द्वारा प्रताड़ित करने वाली बात उनलोगों से बताती थी जिस पर वह लोग समझा–बुझाकर भेज देते थे।</u> प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारवालों ने उपरोक्त ससुरालीजनों को भी समझाया परन्तु उन लोगों के समझ में कोई बात नही आयी। मई सन् 2021 में पूर्णिमा मायके आयी थी तब उसने ससुरालीजनों द्वारा की जा रही अत्यधिक प्रताड़ना की

Digitally signed by AVIJIT BHUSHAN
Date: 2025.06.16 09:42:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बात उनलोगों को बताई थी जिस पर दिनांक 24.06.2023 को प्रार्थी ने अपने घर में एक पारिवारिक पंचायत बुलाई जिसमें उपरोक्त सभी ससुरालीजनों उपस्थित हुये तथा प्रार्थी की ओर से प्रार्थी के भाई चन्द्रभान सिंह तथा परिवार के विकास सिंह, धर्मेन्द्र व प्रार्थी का पुत्र रवि सिंह प्रार्थी की पत्नी तारा देवी व आनन्द तिवारी मौजूद थे। उक्त पंचायत में उपरोक्त सभी ससुरालीजनों ने दो लाख रूपये अतिरिक्त दहेज में मांगे और बिना मॉग पूरी हुये पूर्णिमा को विदा कराकर ले जाने से इंकार कर दिया जिस पर प्रार्थी ने किसी तरह व्यवस्था कर एक लाख रूपये नगद उपरोक्त ससुरालीजनों को दिया और बहुत आरजू मिनन्त किया तो उपरोक्त लोग प्रार्थी की पुत्री को विदा कराकर ससुराल ले गये परन्तु एक लाख रूपये के लिये उसे प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 04.07.2021 को प्रार्थी की पुत्री पूर्णिमा ने रात में प्रार्थी की पत्नी तारा देवी के पास फोन कर बताया कि मेरे पति शिवानन्द सिंह, जेठ शिवस्वरूप सिंह, नन्दें रीता व पुनीता व सास रेनू देवी अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रूपये की माँग को लेकर मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। मुझे यहाँ से लिवा ले जाओ वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। वह लोग दूसरे दिन जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि प्रार्थी को थाना–मलवां की पुलिस द्वारा प्रार्थी की पुत्री की मृत्यु की सूचना मिली, जिस पर प्रार्थी ने इस घटना की रिपोर्ट थाना–मलवां में पंजीकृत कराई। पुलिस ने प्रार्थी की पुत्री का पंचायतनामा गवाहान की मौजूदगी में करने के पश्चात पोस्टमार्टम कराया। उपरोक्त सभी ससुरालीजनों ने मिलकर दिनांक 05.07.2021 को समय करीब 01 बजे दिन प्रार्थी की पुत्री मृतिका पूर्णिमा सिंह की दहेज हत्या की है परन्तु थाना–मलवां की पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर रही थी और न ही प्रार्थी व प्रार्थी के गवाहों का बयान ले रही थी। थाना–मलवां की पुलिस मुल्जिमान से मिली हुई थी और इसीलिये मुल्जिमान शिवानन्द के अलावा अन्य किसी मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया है। मुल्जिमान प्रार्थी व प्रार्थी के गवाहों को डरा–धमकाकर सुलह का दबाव बना रहे हैं। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को भी प्रार्थनापत्र दिया है परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर सी०जे०एम० न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जो प्रकीर्ण वाद सं० 29/2021 धूनसिंह बनाम शिवानन्द सिंह आदि अन्तर्गत धारा 498 ए, 304 बी आई०पी०सी० व 3/4 डी०पी०एक्ट के रूप में दर्ज होने के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2021 को खारिज कर दिया गया था जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने एक क्रि० रिवीजन माननीय सत्र न्यायालय फतेहपुर में दाखिल किया था जो दाण्ड़िक प्रकीर्ण सं0 321/2021 धूनसिंह बनाम उ०प्र० राज्य आदि के रूप में दर्ज होने के बाद माननीय सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2021 को खारिज कर दिया गया है। माननीय सत्र न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांकित 29. 09.2021 में प्रार्थी को उक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र देकर प्रगति आख्या मंगाये जाने हेतु निर्देशित किया था जिसके अनुपालन में प्रार्थी ने अपने व अपने गवाहों के बयान नोटरी कमिश्नर द्वारा सत्यापित शपथपत्र के जरिये मुकदमा उपरोक्त के विवेचक को प्रेषित किये जाने हेतु सी० जे०एम० फतेहपुर की अदालत में प्रस्तुत किया था जिसे सी०जे०एम० फतेहपुर ने दिनांक 22.10.2021 को उक्त प्रार्थनापत्र व शपथपत्र को सम्बन्धित विवेचक के पास प्रेषित किये जाने हेतु आदेश पारित किया था उक्त प्रार्थनापत्र व शपथपत्र तथा उस पर पारित आदेश दिनांकित 22.10.2021 की सत्यप्रतिलिपि की फोटोकापी प्रार्थी अपनी मुख्य परीक्षा में दौरान उपरोक्त मुकदमें में दाखिल कर चुका है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र रवि कुमार सिंह व प्रार्थी के भाई चन्द्रभान सिंह व प्रार्थी की पत्नी तारा देवी व अन्य गवाह विकास कुमार सिंह, अरविन्द सिंह, हरिओम सिंह ने अपने बयान 161 जा०फौ० में प्रार्थी द्वारा लिखाई गयी एफ०आई०आर० का पूर्णतया समर्थन करते हुये अभियुक्त शिवानन्द सिंह के साथ अन्य मुल्जिमान शिव स्वरूप सिंह. रीता, पुनीता व मृतिका की सास रेनू सिंह को घटना में शामिल होना बताया है तथा प्रस्तुत मामले में प्रार्थी की मुख्य परीक्षा दिनांक 07. 04.2023 को न्यायालय के समक्ष हुई है जिसमें प्रार्थी ने पेज 1 के दूसरे पैरा में कहा है कि, "मेरी

बेटी पूर्णिमा की शादी शिवानन्द के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 07.03.2019 को सम्पन्न हुई थी शादी में मैने अपनी हैसियत के अनुसार नगदी, कपड़े, जेवर व सामान दिया था दिये गये दान–दहेज से पति शिवानन्द, नन्द रीता, पुनीता, सास रेनू व जेठ शिवस्वरूप दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रूपये की मांग करते थे।" उसने अपनी मुख्य परीक्षा के पेज 2 की तीसरी लाइन में कथन किया है कि, 'फिर मैने 24.06.2021 को एक पंचायत अपने घर में बुलाई जिसमें शिवानन्द उसकी बहनें रीता, पुनीता, सास रेनू देवी व जेठ शिवस्वरूप सिंह को बुलाया और मेरी तरफ से मेरे भाई चन्द्रभान सिंह परिवार के विकास, धर्मेन्द्र व आनन्द तिवारी मौजूद थे इस पंचायत में मेरी पुत्री के पति शिवानन्द, नन्द रीता, पुनीता, जेठ शिवस्वरूप व सास रेनू देवी ने कहा कि जब तक अतिरिक्त दहेज के दो लाख रूपये नही दोगे मैं विदा कर नहीं ले जाऊंगा फिर मैंने किसी तरह एक लाख रूपये की व्यवस्था करके शिवानन्द व उसके परिवारवालों को दिया व शेष एक लाख रूपये के लिये बड़ी आरजू मिन्नत किया कि बाद में दे देंगे तब ये लोग मेरी बेटी को विदा कर ले गये दिनांक 04. 07.2021 को मेरी लड़की ने मेरी पत्नी के पास फोन करके बताया कि उपरोक्त ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के एक लाख रूपये की मांग को लेकर यह लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं मुझे लिवा ले जाओ नहीं तो यह लोग मुझे मार डालेंगे, दिनांक 05.07.2021 को बेटी की ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे तो थाना–मलवां की पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आपकी बेटी की हत्या हो गयी है।" प्रार्थी की पुत्री मृतिका पूर्णिमा की दहेज हत्या उसके पति शिवानन्द, नन्दें रीता व पुनीता, सास रेनू देवी व जेठ शिवस्वरूप सिंह ने मिलकर अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये न मिलने के कारण की है। उक्त आधार पर प्रार्थना की गयी है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शिवस्वरूप सिंह, रीता व पुनीता एवं सास रेनू देवी को मुकदमा उपरोक्त में विचारण हेतु बतौर अभियुक्त तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अतः मुकदमा उपरोक्त में बतौर अभियुक्तगण शिवस्वरूप सिंह जेठ, नन्दे रीता व पुनीता एवं सास रेनू देवी को तलब कर दण्डित किया जाय।

उक्त अभिकथनो एवं तथ्यों के खण्डन में बचावपक्ष/अभियुक्त की ओर से लिखित आपत्ति कागज संख्या 18ब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र 16अ की दफा–03, दफा–04, दफा–05, दफा–06 व दफा–07 में जो तथ्य उल्लेखित किये गये है वह बिल्कुल झूठे है। उक्त प्रार्थना पत्र की दफा–8 मे यह तथ्य कि दिनांक 04.07. 2021 को पुत्री पूर्णिमा ने रात में पत्नी तारा देवी के पास फोन पर बताया कि मेरे पति शिवानन्द सिंह, जेठ शिवरूप सिंह, ननदें रीता व पुनीता, सास रेनू देवी अतिरिक्त दहेज के रूप मे एक लाख रूपये की माँग को लेकर मेरे साथ मार–पीट कर रहे है बिल्कुल गलत एवं झूठे उल्लिखित किये गये है जिसका स्पष्ट प्रमाण मृतिका पूर्णिमा सिंह के शव का शव विच्छेदन आख्या जिसमे मृतिका के गले मे लेजिचर मार्क के अलावा उसके शव मे मृत्यु पूर्व किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गयी है और शव–विच्छेदन करने वाले डाक्टर ने मृतिका की मृत्यु पूर्व हुई हैगिंग से उत्पन्न स्वांसारोध के कारण हुई है और मृतिका ने स्वयं फॉसी लगाई है, की राय दिया है। थाना मलवां की पुलिस बिल्कुल नहीं मिली हुई थी बल्कि पुलिस ने प्रार्थी को गलत दफाओं मे जेल भेजा। प्रस्तुत मुकदमे की विवेचना उपपुलिस अधीक्षक नगर फतेहपुर द्वारा की गयी है। जो कि राज्य पत्रित अधिकारी है और उन्होनें संघनता व निष्पक्षता से मुकदमे की विवेचना की है और परिवादी मुकदमा धून सिंह द्वारा लिखाये गये मुल्जिमानो में से प्रार्थी की विवाहिता बहने, रीता, पुनीता जो प्रार्थी की शादी से पहले से अपनी–अपनी ससुराल में रहती थी, घटना वाले दिन प्रार्थी के घर पर नहीं थी अपनी–अपनी ससुराल में थी, कि स्पष्ट मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर उनकी नामजदगी गलत पायी। अभियुक्त/ प्रार्थी के भाई शिवरूप सिंह प्रार्थी की शादी के बाद से ही प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी से अलग दूसरे मकान मे अपनी पत्नी व बच्चो के साथ व मॉ के साथ रहते रहे और अपनी खेती बारी व व्यवसाय प्रार्थी से

अलग रहकर करते रहे। जिसके सम्बन्ध मे विवेचक ने दौरान विवेचना स्पष्ट मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर उनकी नामजदगी गलत पाई है। जिसके स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। प्रस्तुत मामले का वादी मुकदमा धून सिंह निर्दोष व्यक्तियो को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिये शुरू से ही प्रयासरत रहा है और इसके लिये उसने कानूनी सलाह से मुकदमा भी दाखिल किया जो खारिज हुआ उसके विरुद्ध रिवीजन किया जो खारिज हुआ। परिवादी मुकदमा जब अपने गलत प्रयासो मे सफल नहीं हुआ तो कानूनी राय से फर्जी कार्यवाहियों किया और न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा मे बिल्कुल झूठा बयान दिया। वादी मुकदमा धून सिंह से अभी प्रतिपरीक्षा के सम्बन्ध मे कोई भी प्रश्न नहीं पूँछे गये इसलिये उसका मात्र मुख्य परीक्षा का बयान साक्ष्य की परिधि मे नहीं माना जायेगा। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र इस स्तर पर पोषणीय नहीं है। अतएव प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त आधार पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 16अ अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता को निरस्त किए जाने की याचना की है। कथन के समर्थन में सूची 21ब के माध्यम से 22ब/1 लगायत 22ब/2 क्रमशः राशन कार्ड रेनू सिंह पत्नी स्व०नरेन्द्र पाल सिंह, 23ब शिवस्वरूप सिंह का जी०एस०टी०छायाप्रति रजिस्ट्रेशन, 24ब/1 रेनू सिंह के मकान की छायाप्रति, 24ब/2 कमला देवी के मकान फोटो की छाया प्रति, 25ब परिवार रजिस्टर की छायाप्रति एवं 26ब प्रधान का प्रमाणपत्र का छायाप्रति दाखिल किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा धून सिंह पिता मृतका की ओर से दी गयी लिखित तहरीर प्रदर्श क 1 दिनांकित 05.07.2021 के आधार पर थाना मलवां में मुकदमा अपराध संख्या 173/ 2021 के रूप में अभियुक्तगण–शिवानन्द, शिव स्वरूप सिंह, रीता, पुनीता एवं मृतका की सास अज्ञात के विरूद्ध धारा 498A/ 304B भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर धारा 498A/304B भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्त शिवानन्द सिंह उर्फ शिवा सिंह के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा आरोपीगण–शिव स्वरूप सिंह पुत्र स्व०नरेन्द्र पाल सिंह, रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह पत्नी उदयकुमार सिंह, निवासी ग्राम शिवरामऊ, थाना रोरा, जनपद कानपुर देहात, पुनीता सिंह पत्नी विष्णु सिंह उर्फ संग्राम सिंह निवासी ग्राम खडेसर, थाना बिधनू, जनपद–कानपुरनगर एवं रेनू सिंह पत्नी स्व०नरेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम मयाराम खेड़ा, थाना मलवां जनपद फतेहपुर की घटना में संलिप्तता के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है, जिसके सम्बन्ध में अभियोग की विवेचना प्रचलित होने का इन्द्राज किया गया है।

दौरान प्रचलित अग्रिम विवेचना पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को घटना, घटनास्थल एवं वादी मुकदमा धून सिंह एवं अभियुक्त पक्ष से सम्बन्धित रिश्तेदार एवं अन्य सगे संबंधियों रामलिखन सिंह, बाबू, पंकज, राजाराम, रामभरोसे, रोशन, अमरजीत सिंह, धर्मेन्द्र कुमार सभी निवासीगण मयारामखेड़ा, थाना मलवां, जनपद फतेहपुर एवं जितेन्द्र सिंह, रंजीत सिंह, सुखराम सिंह, रामविजय सिंह, राकेश तिवारी, विष्णु सिंह सभी निवासीगण खडेसर, थाना विधनू, जिला कानपुरनगर, एवं बृजेश किशोर सिंह, हरवंश सिंह, भूपेन्द्र सिंह, संदीप सिंह एवं उदय सिंह सभी निवासीगण सिमरामऊ, थाना रूरा जिला कानपुर देहात द्वारा प्रेषित शपथपत्र, जिनको पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने विवेचनात्मक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विवेचक को प्रेषित तथा अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर फतेहपुर विवेचक को प्रेषित आदेश दिनांकित 14.10.2021 तथा मृतका की माता तारा देवी जो कि वादी मुकदमा धून सिंह की पत्नी है, द्वारा पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 13.10.2021 को अपनी विवेचना का आधार बनाते हुए पूरक केस डायरी में विवेचनात्मक कार्यवाही को अंकित करते हुए बयान गवाह वादी मुकदमा धून सिंह पंचायतनामा, बयान मृतका का भाई रविकुमार सिंह, मृतका के दादा चन्द्रभान सिंह, बयान समयी साक्षी चुन्नीलाल, बयान आरोपी–शिवानन्द उर्फ शिवा सिंह, शिव स्वरूप सिंह, रेनू

सिंह, रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह, पुनीता सिंह, बयान साक्षी मृतका की मॉ तारा देवी, गवाह पंचायतनाम साक्षी विकास सिंह, अरविन्द सिंह, हरिमोहन सिंह, पंचायतनामा जॉच अधिकारी सिद्धांत कुमार सिंह, बयान पंडित देवीदत्त तिवारी एवं बयान स्वतंत्र साक्षी ग्राम वासी भइयालाल, महेश कुमार, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, बयान स्वतंत्र साक्षी, दिनेश कुमार, मदनकुमार बयान चिकित्साधिकारी डॉक्टर आदर्श, बयान ग्राम विकास अधिकारी नीलम सिंह अंकित किया एवं अवलोकन प्रमाणपत्र ग्राम प्रधान करके तथ्यों का अंकन करके अभिलेखीय साक्ष्य में सम्बन्धित व्यक्तियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं परिवार रजिस्टर को विवेचना का भाग बनाते हुए अभियोग की तमामी विवेचना संकलित साक्ष्य से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित आरोपीगण–शिवस्वरूप सिंह, रेनू सिंह, रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह एवं पुनीता सिंह के विरूद्ध अपराध की साक्ष्य नहीं है। अभियोग में अब कोई विवेचनात्मक कार्यवाही शेष नहीं है, विवेचना समाप्त की जाती है। उक्त आरोपीगण शिवस्वरूप सिंह, रेनू सिंह, रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह एवं पुनीता सिंह की नामजदगी गलत पायी जाती है। उक्त आरोपीगण/अभियुक्तगण को वादी मुकदमा धून सिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से विचारण हेतु प्रस्तुत मामले में तलब कराना चाहता है।

केस डायरी पर संकलित साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक ने पाया कि आरोपी/अभियुक्त शिवानन्द सिंह उर्फ शिवा सिंह अपनी पत्नी मृतका पूर्णिमा सहित अपनी दादी कमला देवी के मकान में उनके साथ रहता एवं निवास करता रहा तथा दादी कमला देवी की मृत्यु के बाद भी कमला देवी के मकान में शिवानन्द सिंह अपनी मृतका पत्नी पूर्णिमा के साथ रहता था। अभियुक्त शिवानन्द सिंह के परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ नहीं रहते थे। शेष आरोपीगण शिवस्वरूप सिंह, रेनू सिंह अलग–अलग मकान में निवास कर रहे थे एवं आरोपी रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह एवं पुनीता सिंह की शादी हो चुकी है जो अपनी ससुराल में अपने पति के साथ निवास कर रहे थे। इस तथ्य की विवेचना विवेचक ने गहनता एवं सघनता से किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्रस्तुत मामले के नक्शा नजरी में आरोपीगण का मकान चार खण्ड में दर्शित किया गया है।

आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने के उपरान्त सत्र सुपुर्दगी के उपरान्त अभियुक्त शिवानन्द सिंह उर्फ शिवा सिंह के विरूद्ध दिनांक 24.04.2022 को धारा 498A/304B भारतीय दण्ड संहिता व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित किया गया। दौरान विचारण पी०डब्लू० 1 के रूप में पिता मृतका धून सिंह को अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित कराया गया। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार–प्रार्थी धून सिंह S/0 प्रहलाद सिंह ग्राम व पोस्ट सरकण्डी शिवराम सिंह का डेरा थाना असोथर जिला फतेहपुर का मूल निवासी है प्रार्थी कि लडकी (पूर्णिमा सिह) की शादी 07/3/019 को शिवानन्द S/0 नारेन्द्र सिंह निवासी मयाराम खेडा थाना मलवाँ जनपद फतेहपुर से हुयी थी शादी के बाद से ही लड़की के पति (शिवानन्द) उसके भाई (शिव स्वरूप सिंह) उसकी बहनें (रीता, पुनीता) एवं उसकी माता (सास) दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से से प्रताडित करते रहे और दूसरी शादी करने की धमकी दे दे रहे थे । जिस पर प्रार्थी और उसके और उसके परिवार जन ने लड़की के ससुराल जन को समझाया किन्तु उन्होने हम लोगो की कोई बात मानी मई 2021 में प्रार्थी के लड़के के शादी में प्रार्थी की लड़की पूर्णिमा भी आयी थी जहाँ पर उसने ससुराल जन द्वारा अत्यधिक प्रताडित करने की बात की प्रार्थी द्वारा लडकी के ससुराल जन को समझाने पर गाली गलहोज की और बेमन से रिस्तेदारो के समझाने पर वापस उसे 24/06/021 को घर ले गए लेकिन प्रताडित करना जारी रखा और आज दिनांक 05/07/021 को प्रार्थी को थाना मलवां द्वारा प्रार्थी की

लडकी (पूर्णिमा) के मृत होने की सूचना प्राप्त हुयी घटना लगभग 1.00 बजे दिन की है। **श्री मान प्रार्थी पूरे यकीन से कह सकता है कि उसकी लडकी (पूर्णिमा) की हत्या उसके पति व उसके परिवार जन मिलकर की है** अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें।

वादी मुकदमा धून सिंह ने बतौर पी०डब्लू० 1 अपने सशपथ मुख्य परीक्षा के बयानों में कथन किया है कि मै हाजिर अदालत मुल्जिम शिवानन्द को जानता पहचानता हूॅ। यह मेरी पुत्री पूर्णिमा का पति है। वह इस मुकदमे में अन्य मुल्जिमान शिवस्वरूप सिंह जेठ है, रीता व पुनीता ननद है, व सास रेनू देवी को भी जानता पहचनाता हूॅ। मेरी बेटी पूर्णिमा की शादी शिवानन्द के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार 07.03.2019 को सम्पन्न हुयी थी। शादी में मैने अपनी हैसियत के अनुसार नगदी कपड़े जेवर, व सारा सामान दिया था। दिए गए दान दहेज से पती शिवानन्द, ननद रीता व पुनीता सास रेनू व जेठ शिवस्वरूप दिए गए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे एवं अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपये की मांग करते थे। फिर मेरे व परिवार वालो के समझाने व बुझाने पर विदा कराकर ससुराल वाले ले गये। विदा कराने के बाद अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण पूर्णिमा को प्रताड़ित करने लगे। **प्रताड़ित करने वाली बात जब उसकी पुत्री घर आती थी तो बताती थी**। हम लोग उसको समझाबुझा कर ससुराल भेज देते थे, फिर मेरी पुत्री पूर्णिमा मई सन 2021 में मेरे यहॉ आयी एवं अधिक प्रताड़ित करने वाली बात बतायी, फिर मैने 24.06.2021 को एक पंचायत अपने घर में बुलायी जिसमें शिवानन्द उसकी बहने रीता, पुनीता, सास रेनू देवी व जेठ शिव स्वरूप सिंह को बुलाया तथा उसकी तरफ से उसके भाई चन्द्रभान सिंह, परिवार के विकास, धर्मेन्द्र व आनंद तिवारी मौजूद थे। इस पंचायत में मेरी पुत्री के पति शिवानन्द, ननद रीता, पुनीता, जेठ शिवस्वरूप व सास रेनू देवी ने कहा कि जब तक अतिरिक्त दहेज के दो लाख रूपये नहीं दोगे, मै विदा कराके नहीं ले जाऊँगा, जिस पर मैने किसी तरह एक लाख रूपये की व्यवस्था करके शिवानन्द व उसके परिवार वालो को दिया व शेष एक लाख रूपये के लिए आराजू मिन्नत किया कि बाद में दे देगें। तब ये लोग मेरी बेटी को बिदा कराकर ले गये। दिनांक 04.07.2021 को मेरी लडकी पूर्णिमा ने रात में मेरी पत्नी के पास फोन करके बताया कि उपरोक्त ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के एक लाख रूपये की मांग को लेकर यह लोग मेरे साथ मारपीट कर रहे है। मुझे लिवा ले जाओ नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेगें। दिनांक 05.07.2021 को बेटी की ससुराल जाने की तैयारी कर रहे थे तो थाना मलवां की पुलिस द्वारा सूचना मिली की आपकी बेटी की हत्या हो गयी है। फिर मै मलवां थाना जाकर तहरीर देकर मुकदमा बेटी के ससुराल जनो के ऊपर मुकदमा कायम कराया। पत्रावली पर संलग्न तहरीर कागज संख्या 3 अ/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने लिखवाकर व सुनकर उसपर अपने हस्ताक्षर बनकार थाने में दिया था, जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिस पर **प्रदर्श क 1** डाला गया। इसके बाद उसकी पुत्री के शव का पंचायतनामा हुआ था । मै भी पंचायतनामा की कार्यवाही में शामिल हुआ था, पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 11 अ/2 लगायत 11 अ/4 पंचायतनामा पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क 2** डाला गया। इस सम्बन्ध में थाना मलवां की पुलिस शिवानन्द को गिरफ्तार करने के बाद अन्य किसी नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया तथा उसके साथ सुलह का दबाव डालने लगे तब उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मलवां पुलिस के रवैया की शिकायत किया एवं न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जो खारिज हुआ, फिर मैने उसका रिवीजन किया इसके उपरान्त प्रगति आख्या मांगने हेतु एक प्रार्थना पत्र व गवाहो के शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल कर सम्बन्धित विवेचक को जरिये पुलिस अधीक्षक भेजवाने की याचना की, फिर मैने प्रगति आख्या मंगाये जाने व परिवाद व उसमें पारित आदेश की कापी न्यायालय में दाखिल किया। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 18 अ/1 लगायत 18 अ/4 देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क 3 डाला गया एवं परिवाद कागज संख्या 11 ब/36 लगायत 11 ब/38 की छायाप्रति को

देखक साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि की। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा सही बयान नहीं लिया था, इसीलिए मैने अपना बयान जरिये हलफनामा भेजा था, दहेज की मॉग पूरी न होने के कारण ससुरालीजनो ने मिलकर मार डाला है। ....उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा अभी जिरह नहीं की गयी। जिरह स्थगित चलने के दौरान है वादी मुकदमा धून सिंह पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में दिए गए बयानों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2023 को प्रस्तुत कर प्रस्तुत मामले में शेष आरोपीगण शिवस्वरूप सिंह, रेनू सिंह, रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह एवं पुनीता सिंह को भी प्रस्तुत विचारण में तलब कराने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के मुख्य परीक्षा में आये बयान/तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि मृतका पूर्णिमा से अतिरिक्त दहेज की मॉग उसके ससुरालीजन द्वारा की जा रही है, यह बात मृतका जब अपने मायके आती थी तो अपने मायके में वादी मुकदमा से बताती थी। पी०डब्लू० 1 ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "**प्रताड़ित करने वाली बात जब उसकी पुत्री घर आती थी तो बताती थी**।" सीधे तौर पर मृतका की ससुरालीजनो द्वारा वादी मुकदमा अर्थात मृतका के मायके वालो से अतिरिक्त दहेज मॉगे जाने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 के अनुसार जब उसकी बेटी मृतका पूर्णिमा को अतिरिक्त दहेज की मॉग को लेकर अधिक प्रताड़ना शुरू हो गया तो वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 धून सिंह ने एक पंचायत अपने घर पर बुलायी **जिसमें शिवानन्द उसकी बहने रीता, पुनीता, सास रेनू देवी व जेठ शिव स्वरूप सिंह** को बुलाया तथा उसकी तरफ से उसके भाई चन्द्रभान सिंह, परिवार के विकास, धर्मेन्द्र व आनंद तिवारी मौजूद थे। इस पंचायत में मेरी पुत्री के पति शिवानन्द, ननद रीता, पुनीता, जेठ शिवस्वरूप व सास रेनू देवी ने कहा कि जब तक अतिरिक्त दहेज के दो लाख रूपये नहीं दोगे, मै विदा कराके नहीं ले जाऊँगा, जिस पर मैने किसी तरह एक लाख रूपये की व्यवस्था करके शिवानन्द व उसके परिवार वालो को दिया व शेष एक लाख रूपये के लिए आराजू मिन्नत किया कि बाद में दे देगें। तब ये लोग मेरी बेटी को बिदा कराकर ले गये। उक्त बयान से यही निष्कर्ष निकलता है कि वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 ने किसी तरह व्यवस्था करके एक लाख रूपये अपने दामाद शिवानन्द(अभियुक्त) को देना कहा है उसने यह नहीं कहा है कि उसने शेष आरोपीगण सास रेनू देवी व जेठ शिवस्वरूप परिवार के मुखिया को दिया। पी०डब्लू० 1 ने लिखित तहरीर प्रदर्श क 1 में यह अंकित किया है कि, "**प्रार्थी पूरे यकीन से कह सकता है कि उसकी लडकी (पूर्णिमा) की हत्या उसके पति व उसके परिवार जन मिलकर की है।"** उक्त वाक्य में महत्वपूर्ण तथ्य **पूरे यकीन** है, जो मात्र सम्भावना की तरफ इंगित करता है एवं सम्भावना पर आधारित है, महज सम्भावना के आधार पर पूर्णिमा मृतका के पूरे ससुरालीजनो व उसके रिश्तेदारो अर्थात विवाहित ननदो को आरोपी/ अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है।

विवेचक ने दौरान घटनास्थल का निरीक्षण वादी मुकदमा धून सिंह को साथ लेकर किया गया एवं नक्शा नजरी तैयार किया है, जिसके अनुसार– घटनास्थल मकान के च, छ, ज, झ में "ए"स्थान पर मृतका को फांसी लगाना दर्शित किया गया है। जिसके उत्तर दो खण्ड में मकान क, ख, च, छे दो खण्ड में मकान आरोपीगण जिसके पश्चिम रास्ता दक्षिण–उत्तर है एवं रास्ते के पश्चिम एक अन्य मकान आरोपीगण दर्शाया गया है तथा आरोपीगण के मकान को चार खण्ड में दर्शाया गया है। विवेचक ने दौरान विवेचना आरोपीगण के राशन कार्ड एवं परिवार रजिस्टर प्राप्त कर बयान ग्राम विकास अधिकारी नीलम सिंह का अंकित किया गया है जिसमें साक्षी ने कहा है कि मै अभी करीब एक सप्ताह पूर्व ही ग्राम पंचायत कोटिया में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर स्थानान्तरण होकर आया हॅू मुझे अभीतक ग्राम मयारामखेडा के शिवानन्द सिंह व शिव स्वरूप सिंह के परिवार के बारे में जानकारी नही हो सकी है, किन्तु परिवार रजिस्टर में अंकित प्रविष्टि के अनुसार **क्रमांक 243** पर अंकित क्रम संख्या 1, .2 व 3 का नाम क्रमशः शिवस्वप सिंह, दीक्षा सिंह तथा यशोवर्धन सिंह का

नाम **क्रमांक 242** में सम्मिलित किए जाने का तात्पर्य यह है कि शिव स्वरूप सिंह, दीक्षा सिंह तथा यशोवर्धन सिंह क्रमांक 242 पर अंकित रेनू सिंह के परिवार में सम्मिलित किये गये है। इस प्रकार परिवार रजिस्टर के अनुसार रेनू सिंह के परिवार में नरेन्द्र सिंह, प्रान्जंल सिंह, शिवस्वरूप सिंह, सेजल सिंह तथा यशोवर्धन सिंह सम्मिलित है **तथा कमला देवी के परिवार में शिवानन्द सिंह (परीक्षित अभियुक्त) एवं पूर्णिमा सिंह(मृतका) सम्मिलित है**। उक्त के अतिरिक्त अवलोकन प्रमाणपत्र ग्राम प्रधान किया गया है जिसमें अंकित है कि,'' प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम माया खेड़ा ग्राम सभा कोटिया थाना मलवा जनपद फतेहपुर के शिवस्वरूप सिंह पुत्र स्व० नरेन्द्र पाल सिंह एवं शिवानन्द सिंह उर्फ शिवा सिंह पुत्र स्व० नरेन्द्र पाल सिंह दोनों सगे भाई है जो वर्तमान में अलग-अलग रहते है। इनका बंटवारा शिवानन्द सिंह की शादी के पहले ही हो गया था। शिव स्वरूप सिंह अपनी पत्नी व बच्चो के साथ अपनी माता रेनू सिंह के साथ रहते है एवं शिवानन्द सिंह अपनी बड़ी मॉ कमला देवी के साथ रहते थे। कमला देवी की मृत्यु के बाद शिवानन्द सिंह अपनी पत्नी पूर्णिमा सिंह के साथ अपने पूरे परिवार से अलग कमला देवी के मकान में रहते थे। दोनों भाईयों का घर अलग-अलग है तथा कमाना खाना सब कुछ अलग-अलग है। इसके खण्डन में प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा धून सिंह पी०डब्लू० 1 द्वारा कोई विश्वसनीय ठोस मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सके अथवा प्रकाश में लाया जा सके कि विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना कोई चूक अथवा किसी प्रकार की लापरवाही की गयी है।

दौरान विवेचना विवेचक ने संकलित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि,'' आरोपी/प्रस्तुत मामले का अभियुक्त शिवानन्द सिंह उर्फ शिवा सिंह अपने बड़े भाई शिवस्वरूप सिंह तथा अपनी मॉ रेनू सिंह से अलग अपनी पत्नी पूर्णिमा सिंह के साथ दूसरे घर(कमला देवी)के घर में रहते थे। शिवानन्द सिंह की दोनों बहनो रीता सिंह व पुनीता सिंह की शादी कई साल पहले ही हो चुकी थी। दोनों बहिने अपनी-अपनी ससुराल में रहती थी। उनका यहॉ मयराम खेड़ा आना जाना बहुत ही कम होता है। दोनों भाई अलग-अलग कमाते खाते थे। दोनों की खेती बारी सबकुछ अलग-अलग है। पूर्णिमा सिंह की मृत्यु के मामले में शिवानन्द सिंह के अलावा और किसी का कोई दोष नहीं है, शिवानन्द सिंह का उनकी पत्नी पूर्णिमा सिंह के साथ व्यवहार ठीक न होना तथा पूर्णिमा सिंह को अपने पति शिवानन्द सिंह से बहुत दुःखी होना पाया।" पत्रावली पर उपलब्ध घटनास्थल नक्शा नजरी, परिवार रजिस्टर में अंकित मकान नम्बर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य मृतका पूर्णिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रतीत हो रहा है कि मृतका पूर्णिमा सिंह की मृत्यु अपनी ससुराल अर्थात अभियुक्त शिवानन्द सिंह उर्फ शिवा सिंह के निवास करने वाले कमला देवी(दादी अभियुक्त/आरोपी शिवानन्द सिंह उर्फ शिवा सिंह) के घर के अन्दर पीछे वाले हिस्से में विवाह के सात वर्ष के भीतर दिनांक 05.07.2021 को समय करीब एक बजे दिन फॉसी स्वांसारोध के कारण सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई जो न्यायालय के अभिमत में विचारण एवं साक्ष्य का विषय है। ऐसे में शेष आरोपीगण शिवस्वरूप सिंह, रेनू सिंह, रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह एवं पुनीता सिंह द्वारा घटना के समय मृतका पूर्णिमा से अतिरिक्त दहेज की मांग किया जाना व अतिरिक्त दहेज की मॉग करके प्रताड़ित कर दहेज हत्या कारित किया जाना बिना किसी ठोस साक्ष्य के विश्वसनीय नहीं उपधारित किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Monju Roy and others Vs. State of West Begal, 2015 AIR S.C.W.2639** यहॉ उल्लेखनीय है जिसमें में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया कि-" दहेज की अतिरिक्त मांग से पति व उसके माता-पिता तो लाभान्वित हो सकते है या लाभान्वित होने की स्थिति में हो सकते है, जिसको लेकर वे प्रताड़ित कर सकते है किन्तु सभी रिश्तेदार उक्त अतिरिक्त दहेज की मांग करने व उक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करने में सम्मिलित रहे हो, इस सम्बन्ध में कोई **Hard and Fast Rule** नहीं

बनाया जा सकता है। इसी प्रकार उक्त विधि व्यवस्था में ही माननीय न्यायालय ने यह मत भी प्रतिपादित किया गया कि वैवाहिक विवादों में परिवार के सभी सदस्यों का नाम केवल सामान्य अभियोग लगाते हुए पंजीकृत करा देने मात्र से जहॉ से पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध घटना में उनकी सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अभियोग न लगाया गया हो, वहॉ ऐसे पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित नहीं माने जाने, का आदेश न्याय संगत पाया गया। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **कंसराज बनाम पंजाब राज्य व अन्य AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट 2324** में माननीय न्यायालय ने अभिमत व्यक्त किया कि– "दहेज हत्या व प्रताड़ना के मामलो में दूरस्थ रिश्तेदारो को संयुक्त विचारण हेतु तलब किए जाने के पूर्व न्यायालय को अत्याधिक सतर्क व सावधान रहना चाहिए जहॉ दूरस्थ रिश्तेदार को घटना में कोई विशिष्ट भूमिका बताये बिना तलब किए जाने की याचना की गयी हो, मात्र ऐसे रिश्तेदारों का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में पंजीकृत करा देने के आधार पर उनको धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु उनकी विशिष्ट भूमिका के सम्बन्ध में साक्ष्य के अभाव में तलब किया जाना न्यायोचित नहीं माना गया। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी मत प्रतिपादित किया गया कि ऐसे दूरस्थ रिश्तेदार को तलब कर दिए जाने से मामले में न केवल अभियोजन कथानक कमजोर होता है बल्कि अभियोजन कथानक वास्तविक अभियुक्तो को दोषसिद्ध करने में विफल होने में अग्रसारित होता है। "

उल्लेखनीय है कि अन्तर्गत धारा 319 द०प्र०स० अपनी वैवेकिक शक्ति का प्रयोग करने के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं । इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब एवं अन्य (2014)3 SCC 92, के मामले में यह व्यवस्था दी गयी है कि– At the time of taking cognizance, the court has to see whether a prima facie, case is made out to proceed against the accused.under section 319 CrPC, though the test of prima facie case is the same, the degree of satisfaction that is required is much stricter. Under Section 319 CrPC, though only a prima facie case is to be established from the evidence led before the court, not necessarily tested on the anvil of cross–examination, it requires much stronger evidence than mere probability of his complicity. The test that has to be applied is one which is more than prima facie case as exercised at the time of framing of charge, but short of satisfaction to an extent that the evidence, if goes unrebutted, would lead to conviction. In the absence of such satisfaction, the court should refrain from exercising power under Section 319 CrPC. In Section 319 CrPC the purpose of providing " it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence " is clear from the words " for which such person could be tried together with the accused" The words used are not " for which such person could be convicted" There is, therefore, no scope for the court acting under Section 319 CrPC to form any opinion as to the guilt of the accused. (Para 88 and 99)**

Power under Section 319 CrPC is a discretionary any an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. The difference in the degree of satisfaction for summoning the original accused and a subsequent accused is on account of the fact that the trial may have already commenced against the original accused and it is in the course of such trial that materials are disclosed against the newly summoned accused. Fresh summoning of an accused will result in delay of the trial therefore the degree of satisfaction for summoning the accused (original and subsequent) has to be different. (para 98, 110{Q.–iv–A})"

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिजेन्द्र सिंह एवं अन्य प्रति स्टेट ऑफ राजस्थान on 27th April, [2017(7)SCC-706] के उक्त मामले में भी यह व्यवस्था दी गयी है कि– In section 319 CrPC "Evidence" Within means material that is brought before court

doing trial In so far as material / evidence collected by I.O at the stage of inquiry is concerned, it can be utilised for corroboration and to support evidence recorded by court to invoke power u/s 319 CrPC– No doubt such evidence that has surfaced in examination in chief without cross examination of witnesses. can also be taken into consideration. It is discretionary power but only when strong and cogent evidence occurs against a person from evidence led before th court, that such power should be exercised. It is not exercised in a casual or a cavalier manner. The Prima facie opinion which is to be formed requires strong evidence than mere probability of his complicity.' **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उक्त अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के अवलोकन से यह विदित होता है कि धारा 319 सी0आर0पी0सी0 न्यायालय की एक ऐसी वैवेकिक शक्ति है जिसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में अत्यंत संयम से तब किया जाना चाहिए जब प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध ठोस एवं विश्वसनीय प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हो। इसके लिए न्यायालय की संतुष्टि का स्तर उस स्तर से उच्च है जो स्तर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए वांछनीय है। मात्र संभावना के आधार पर किसी व्यक्ति को अन्तर्गत धारा 319 जाब्ता फौजदारी तलब नहीं किया जाना चाहिए।**

उपर्युक्त नजीरों के प्रकाश में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये परिसाक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता शेष अभियुक्तगण /आरोपीगण शिवस्वरूप सिंह, रेनू सिंह, रीता सिंह उर्फ गायत्री सिंह एवं पुनीता सिंह को अन्तर्गत धारा 319 द०प्र०स० तलब किये जाने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है । तदनुसार प्रार्थनापत्र कागज संख्या 16 **अ अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता** निरस्त एवं आपत्ति 18 ब निस्तारित किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 16 अ अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 18 ब तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य / जिरह पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा धून सिंह अभियोजन दिनांक 16.06.2025 को पेश हो।

(अविजित भूषण)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 03
फतेहपुर।
जे०ओ० कोड UP3831